

बिहार गजट (असाधारण), 16 मार्च 2011

प्रपत्र-7

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत धारा 3 उप-धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत सम्पत्तिवर्तन की अनुमति का प्रमाण-पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्पत्तिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा 3 उप-धारा (6)/अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत निम्नवर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन से सम्पत्तिवर्तन की अनुमति शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।
2. भूखण्ड पर बने मकान एवं व्यवसाय के उद्देश्य से समाज को कोई हानि नहीं होगी।

भूमि की विवरणी :-

| जिला का नाम | अनुमंडल का नाम | अंचल का नाम | संस्था का नाम | राजस्व ग्राम का नाम | राजस्व थाना संख्या | खाता संख्या | खेसरा संख्या | गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त किया जाने वाला रकबा | चौहद्दी | गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार | सम्पत्तिवर्तन के उपरांत देय वार्षिक लगान/शेष |
|-------------|----------------|-------------|--|---------------------|--------------------|-------------|---------------|---|---|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| पटना | दानापुर | बिहटा | Sri Ashish Adarsh, Managing Trusting Arcade Educational Trust, Rajendra Nagar Patna. | टिकैतपुर | 103 | 198, | 1416, | 21डी० | उ०-प्लॉट नं०-1417 द०- प्लॉट नं०-1414 एवं 1415 पू०-प्लॉट नं०-1413 प०-प्लॉट नं०-1420 | शैक्षणिक संस्थान | वर्तमान लगान का दस गुणा एवं शेष राशि |
| | | | | | | 168, 181 | 1420, 1421 | 24डी० 57 डी० | उ०-प्लॉट नं०-1419 एवं 1417 द०- प्लॉट नं०-1414 एवं 1422 पू०-प्लॉट नं०-1415 एवं 1416 प०-सड़क | | |

अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर।

ज्ञापक 4234, दिनांक : 9 / 11 / 2014.

प्रतिलिपि :- Sri Ashish Adarsh, Managing Trusting Arcade Educational Trust, Rajendra Nagar Patna जिला-पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर।